SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)524/P/Fixation/Vol.V

Headquarters Office
Personnel Branch
Chennai - 600 003
Dated: 16-07-2013

RBE No. 62 / 2013 **PC-VI No. 321** **PBC No: 77 / 2013**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list –'A')

Sub: Railway Services (Revised) Pay Rules, 2008 – Revised pay structure of ancillary staff of RPF / RPSF.

******

A copy of Railway Board's letter No.PC-VI/2008/I/5/8 dated 03-07-2013 (RBE No. 62/2013) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 29-10-2008 referred therein has been circulated under PBC No. 180 / 2008.

(M.SRINIVASALU) 16/7/13
Asst.Personnel Officer / Rules
for Chief Personnel Officer

Encl: as above

Copy to : The Genl.Secy. SRMU
The Genl.Secy. AISCSTREA
The Genl.Secy. AIOBCREA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

PC-VI No. 321 RBE No. 62/2013

No. PC-VI/2008/I/5/8 New Delhi, dated 03.07.2013

The General Manager and CAO(R)
All Indian Railways and Pus
(As per mailing list)

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008- Revised pay structure of ancillary staff of RPF/RPSF

Ref: Board's letter No. PC-VI/2008/I/3/1 dated 29.10.2008 (Para 4)

Consequent upon implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission in respect of Followers of various Central Para Military Forces as accepted by Government, the issue of revision of pay structure of Ancillary staff of RPF/RPSF has been under consideration of the Ministry of Railways in consultation with Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs for some time.

2. President is now pleased to decide as follows :

(a) All the posts of 'ancillary staff' of RPF/RPSF in pre-revised pay scales Rs.2610-3540, 2650-4000 and 2750-4400 may be placed in PB1 with GP Rs. 2000 with effect from 1.1.2006.

(b) Consequent upon placement in PB1 GP Rs.2000, above posts will get reclassified as Group 'C' posts in terms of Board's letter No. PC-VI/2009/I/RSRP/4 (RBE No.5/2010) dated 08.01.2010.

(c) After conversion of posts of Ancillary staff as above, the posts would be re-designated as Constable (name of trade) viz. Constable (Barber), Constable (Safaiwala), Constable (Washerman), Constable (Mali) etc.

(d) Ancillary staff who have already undergone basic training (including weapons training) would be placed in revised pay structure as above as per the provisions of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008. Ancillary staff who have not undergone training as above, will be subjected to re-training programme (including weapon training) for a duration not exceeding 3 months during working days and not more than 2 hours a day, as per the detailed instructions to be issued by Security Directorate. On successful completion of training they will be allowed the benefit of revised pay structure as above. Arrears as due may be drawn accordingly.

(e) Recruitment Rules/provisions of RPF Act/RPF Rules/Directives/standing orders etc. will accordingly be modified to make recruitment in each trade duly keeping view the RRs in other CPMFs for such posts. Above recruitment rules / other relevant conditions like rank/status etc. will have no linkage with the posts of Constables of Executive side or Drivers of RPF/RPSF. Further, the recruitment qualification for future recruitment will not be lower than Matriculation/ITI i.e. the lowest qualification prescribed by 6th CPC for entry into government service.

(f) There will be no change in the total sanctioned strength of Battalion/ Company due to conversion of the posts of Ancillary staff in/as Gr. C posts.

(g) Functions of various trades will be reviewed and multi-skilling as deemed necessary will be introduced.

(h) The practice of deployment of Constables/Ancillary staff at the residence of officers, wherever in vogue, will be stopped forthwith and wherever they are required to be deployed at the residences of officers due to operational reasons, it will be done after obtaining prior sanction of competent authority.

3. Action for re-fixation of pay and drawal and disbursement of arrears should be completed immediately as per the provisions of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 and detailed procedure laid down in Board's letter No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated11.9.2008 (RBE No.108/2008). Further as per clarification available in Board's letter No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.11.2008 (RBE No.172/2008) for fixation of pay of existing employees (as on 1.1.2006), fitment tables, corresponding to actual pre-revised scale applicable to the employee, as annexed with Board's letter dated11.09.2008 shall be utilized for the purpose of determination of pay in the pay band. To the pay in pay band so determined Grade Pay of Rs.2000/- will be added.

4. This issues in consultation with Security dte.(DG/RPF) and with the concurrence of Finance directorate of this Ministry.

(Hari Krishan)
Director Pay Commission-II
Railway Board

No. PC VI/2008/I/5/8 New Delhi, dated 03.07.2013

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi

For Financial Commissioner /Railways

भारत सरकार

रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-6/321 आर बी ई सं. 62/2013

सं.पीसी-6/2008/आई/5/8 नई दिल्ली, दिनांक 03.07.2013

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(रेलवे)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 – रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के एन्सीलरी कर्मचारीवृंद की संशोधित वेतन संरचना।

संदर्भ:- बोर्ड के दिनांक 29.10.2008 का पत्र सं.पीसी-6/2008/आई/3/1(पैरा 4)।

सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत विभिन्न केन्द्रीय पैरा सैनिक बलों के फॉलोअर्स के मामले में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के एन्सीलरी कर्मचारीवृंद की वेतन संरचना में संशोधन करने के मुद्दे पर कुछ समय से वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा था।

2. राष्ट्रपति ने अब निम्नानुसार निर्णय लिया है:

(क) 2610-3540, 2650-4000 और 2750-4400 रूपए के संशोधन-पूर्व के वेतनमान वाले रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के एन्सीलरी कर्मचारीवृंद के सभी पदों को 01.01.2006 से ग्रेड पे 2000 रूपए के साथ पीबी 1 में रखा जाए।

(ख) पीबी 1 ग्रेड पे 2000 रूपए में रखे जाने के परिणामस्वरूप उपर्युक्त पदों को बोर्ड के दिनांक 08.01.2010 के पत्र सं.पीसी-6/2009/आई/आरएसआरपी/4 (आरबीई सं.5/2010) के अनुसार ग्रुप 'सी' पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त के अनुसार एन्सीलरी कर्मचारीवृंद के पदों को बदल दिए जाने के बाद इन पदों को कांस्टेबल (ट्रेड का नाम) जैसेकि कांस्टेबल (नाई), कांस्टेबल (सफाईवाला), कांस्टेबल (धोबी), कांस्टेबल (माली) आदि के रूप में पुन: पदनामित किया जाएगा।

(घ) ऐसे एन्सीलरी कर्मचारीवृंद जिन्होंने पहले ही बेसिक ट्रेनिंग (हथियारों के प्रशिक्षण सहित) ली हो, को रेल सेवा(संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में रखा जाएगा। ऐसे एन्सीलरी कर्मचारीवृंद, जिन्होंने उपर्युक्त के अनुसार प्रशिक्षण नहीं लिया हो, को पुन: प्रशिक्षण(हथियारों के प्रशिक्षण सहित) दिया जाएगा जिसकी अवधि, सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए जाने वाले विस्तृत अनुदेशों के अनुसार कार्य दिवसों के दौरान 3 माह और प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक नहीं होगी, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें उपर्युक्त के अनुसार संशोधित वेतन संरचना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, वे देय बकाया राशि प्राप्त करेंगे।

(ड.) ऐसे पदों के लिए अन्य केंद्रीय पैरा सैनिक बलों में भर्ती नियमों की विधिवत् रूप से ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ट्रेड में भर्ती करने के लिए भर्ती नियमों/रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के प्रावधानों/रेलवे सुरक्षा बल के नियमों/निदेशों/स्थाई आदेशों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। उपर्युक्त भर्ती नियमों/अन्य संगत शर्तों, जैसेकि रैंक/ओहदा आदि का रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के एग्जीक्यूटिव साइड के कांस्टेबलों अथवा ड्राइवर के पदों के साथ कोई लिंक नहीं होगा। इसके अलावा, भावी भर्ती के लिए भर्ती की अर्हता मैट्रिकुलेशन/आईटीआई अर्थात् जो सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता है, से कम नहीं होगी।

(च) एन्सीलरी कर्मचारीवृंद के पदों को ग्रुप 'सी' पदों में/के रूप में बदलने के कारण बटालियन/कंपनी की कुल स्वीकृत संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(छ) विभिन्न ट्रेडों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और यथाआवश्यक मल्टी-स्किलिंग लागू की जाएगी।

(ज) कांस्टेबलों/एन्सीलरी कर्मचारीवृंद को अधिकारियों के आवास पर तैनात करने की परम्परा जहां कहीं प्रचलित हो, उसे तत्काल रोक दिया जाएगा और जहां-कहीं परिचालनिक कारणों से अधिकारियों के आवास पर उन्हें तैनात किया जाना आवश्यक हो तो ऐसा सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा।

3. रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के प्रावधानों और बोर्ड के दिनांक 11.9.2008 के पत्र सं. पीसी-6/2008/आई/आरएसआरपी/1 (आरबीई सं.108/2008) में दी गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार वेतन के पुनर्निधारण, बकाया राशि के आहरण(drawal) और संवितरण के कार्य तत्काल पूरे किये जाने चाहिए, इसके अलावा, मौजूदा कर्मचारियों (01.01.2006 को) के वेतन निर्धारण के लिए बोर्ड के दिनांक 11.11.2008 के पत्र सं.पीसी-6/2008/आई/आरएसआरपी/1 (आरबीई सं.172/2008) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पे बैंड में वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए कर्मचारियों को अनुमेय संशोधन-पूर्व के वास्तविक वेतनमान के अनुरूप फिटमेंट तालिकाओं, जिन्हें बोर्ड के दिनांक 11.9.2008 के पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में दिया गया है, का इस्तेमाल किया जाएगा, इस प्रकार निर्धारित पे बैंड के वेतन में ग्रेड पे 2000 रूपए को जोड़ा जाएगा।

4. इसे इस मंत्रालय के सुरक्षा निदेशालय (महानिदेशक/रेलवे सुरक्षा बल) के परामर्श से और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(हरि कृष्ण)
निदेशक, वेतन आयोग-2
रेलवे बोर्ड

सं.पीसी-6/2008/आई/5/8 नई दिल्ली, दिनांक 03.07.2013

प्रतिलिपि ए डी ए आई (रेलें) नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें